मध्य प्रदेश में सड़कों का रखरखाव

454. **श्री राधा किशन मालवीय:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई 25 मीटर मान कर राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में उनका रखरखाव करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कब तक निर्णय लेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Demurrage to Foreign Ships

455. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the details of monthly amount of demurrage paid by Government to foreign ships on account of delayed unloading of their goods at the various ports during the last twelve months;

(b) what are the reasons for delayed unloading in each case;

(c) the number of foreign ships which are still waiting at the various ports; and

(d) whether Government have assessed any compensation for the loss of quality of the goods lying in these ships for several weeks and if so, what steps government propose to take to see that the loss is compensated for?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) An amount of Rs. 102,43,291.00 as demurrage was paid by Government to foreign ships on account of delay in unloading of Government cargo at various ports during the period from Nov. '91 to Oct. 92'.

(b) The reasons for delay in unloading vary in each case. The main reasons are delay in documentation, bad weather, inadequate handling and clearance facilities, congestion, force majeure, etc.

(c) Seven foreign ships carrying Government cargoes are waiting as on 23.11.1992 at various ports to commence discharge.

(d) No, Sir. The claim for loss of quality of goods lies against shipowners and is compensated for by them.

दिल्ली परिवहन निगम के डिपुओं की अधिशेष भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

456. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 नवम्बर, 1992 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "पी०एम०ओकेज कामर्शियलाइजेशन आफ डी०टी०सी० सरप्लस लैंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने धनराशि जुटाने हेतु दिल्ली परिवहन निगम के सभी डिपुओं पर अधिशेष भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि एकत्र होने की संभावना है और उसका किस प्रकार उपयोग किए जाने का विचार है और इस योजना के वित्त पोषण का स्रोत क्या है; और

(घ) क्या इससे भविष्य में दिल्ली परिवहन निगम को और घाटा नहीं होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार, दिल्ली परिवहन निगम के 40 बस डिपुओं में भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वर्तमान प्राक्कलनों से मालूम होता है कि दिल्ली परिवहन निगम को वाणिज्यिक विकास पूरा होने के बाद लगभग 680 करोड़ रु० प्राप्त होने की संभावना है। अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इन निधियों से प्राप्त ब्याज का बसें खरीदने/दिल्ली परिवहन निगम में नकद घाटों को पूरा करने आदि के लिये उपयोग करने का प्रस्ताव है।